फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल | विपक्षी : श्री भेरूलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 22/21

जीसीएमएस : 2021/75

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षीगण के जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 237 पर दर्ज आराजी नम्बर 1141, 1142, 1145, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1170, 1174, 1175, 1176, 1180, 1563, 1564, 1567, 1621, 1919/1639, 747, 754, 78, 79 किता 30 कुल रकबा 17.7498 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 8 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1, 8 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 1, 8 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:31 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:31 IST
Reason: SelfAttested